पत्रसंख्या-कम्प्यूटर-बैक एण्ड यू0पी0टी0टी0इन्टीग्रेशन/(2007-2008) / 1146 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(कम्प्यूटर-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक :: 26. मार्च,2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) एवं
समस्त असि0 कमि0 (प्रभारी) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

वाणिज्य कर विभाग के कम्प्यूटराइजेशन प्रोग्राम के तहत विकसित किये गये रिसीट एवं रजिस्ट्रेशन माड्यूल पर समस्त कार्यालयों में सुचारु रुप से कार्य किया जा रहा है। विभाग में यह दोनों कार्य अब कहीं भी मैनुअल रुप से नहीं किये जा रहे हैं। कम्प्यूटराइजेशन कार्यक्रम का अधिकतम लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त दोनों कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में चली आ रही मैनुअल रजिस्टर व्यवस्था को समाप्त किया जाय। इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं -

1- रिसीट माड्यूल के द्वारा आर-29 एवं डी0सी0आर0 के सम्बन्ध में विवरण तिथिवार और कार्यालयवार प्राप्त किये जा सकते हैं। इन दोनों रजिस्टर के सम्बन्ध में प्रत्येक दिन की रिपोर्ट एक फाइल में तिथिवार / माहवार संलग्न किये जॉय तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रत्येक माह के डी0सी0आर0 को बाइन्ड करा दिया जाय।इन रिपोर्ट्स की साफ्ट कापी भी सी0डी0 के रुप में संचित किया जाय।

2- इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन माड्यूल के सुचारु रुप से कार्य करने से आर-1 एवं आर-10 रजिस्टर को मैनुअल रुप से बनानें की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यह दोनों रजिस्टर भी साफ्टवेयर से जनरेट होकर एक फाइल में संलग्न किये जायेंगें एवं वित्तीय वर्ष के उपरान्त बाइन्ड कराये जायेंगे।

3- प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश जारी किये जाते हैं कि वे अपने अधिक्षेत्र के व्यापारियों का उनके द्वारा बिक्री किये जा रहे वस्तुओं का HSN comodity code पत्र द्वारा उन्हे एक बार सूचित कर दें जिससे कि रिटर्न भरने में उन्हे कोई परेशानी न हो तथा उनके द्वारा सही comodity code अंकित किया जा सके।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 01-04-2008 को आर-29, डी0सी0आर0,आर-1 एवं आर-10 मैनुअल रुप से नहीं बनाये जायेंगें अपितु साफ्टवेयर से जनरेट करके उनका प्रिन्ट आउट निकालकार फाइल में प्रस्तुत किया जायेगा तथा इनकी सी0डी0 भी बनाकर रखी जायेगी। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

26.3.08

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।